

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3018
जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2022 को दिया जाना है।

.....
भूजल स्तर में हास

3018. डॉ. ए. चेल्लाकुमार:

श्री बैन्नी बेहनन:

डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में भूजल संसाधनों में हास की औसत दर क्या है;
- (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान दोहन किए गए भूजल का वार्षिक आंकड़ा क्या है;
- (ग) प्रत्येक राज्य में भूजल का अत्यधिक दोहन करने वाले जिलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या और प्रतिशत कितना है;
- (घ) देश में खराब जल प्रबंधन के क्या कारण हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा देश में भूजल स्तर में हास की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर दूडू)

(क): किसी क्षेत्र में भूजल संसाधनों की उपलब्धता कई कारकों पर निर्भर करती है यथा वर्षा की तीव्रता और अवधि, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, मौजूदा पुनर्भरण संरचनाओं की संख्या, उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उद्देश्यों यथा औद्योगिक अनुप्रयोगों, पेय / घरेलू उद्देश्यों, सिंचाई आदि के लिए निष्कर्षण आदि, अतः विभिन्न क्षेत्रों के लिए भूजल संसाधनों की वृद्धि या गिरावट दर में भिन्नता होती है।

हालांकि, वर्ष 2017 और 2020 के मध्य भूजल निष्कर्षण की तुलना (जैसा कि केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्यों द्वारा आकलन किया गया है) से यह ज्ञात होता है कि लगभग 249 बीसीएम की तुलना में लगभग 245 बीसीएम तक निष्कर्षण (औसतन पूरे देश के

लिए) में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, भूजल स्तर में दीर्घकालिक विचलन का आकलन करने के लिए, नवंबर 2021 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी (मॉनिटरिंग नेटवर्क के एक सेट के माध्यम से) द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर 2011 से नवंबर 2020 के दशकीय औसत से करने से यह ज्ञात होता है कि लगभग 70% कुओं के जल स्तर में वृद्धि हुई है, जबकि मॉनिटरिंग किए गए लगभग 30% कुओं के भूजल स्तर में गिरावट पाई गई है।

(ख): सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल संसाधनों के वर्ष-वार निष्कर्षण के संबंध में जानकारी संकलित नहीं की जा रही है, हालांकि, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से किए गए वर्ष 2020 और 2017 के पिछले दो आकलनों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ग): देश में भूजल संसाधन का आकलन मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक, मंडल, तालुका आदि) स्तर पर किया जा रहा है। राज्यों में उपलब्ध आकलन इकाइयों की कुल संख्या के समानांतर अति-दोहित आकलन इकाइयों का राज्य-वार विवरण (प्रतिशत में) **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(घ): विभिन्न उपयोगों के लिए स्वच्छ जल की बढ़ती मांग, वर्षा की अनिश्चितता, बढ़ती जनसंख्या; औद्योगीकरण, शहरीकरण आदि के कारण देश में स्थायी जल प्रबंधन प्रभावित हुई है। हालांकि निर्दिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नीति / साइट संबंधी उपायों के माध्यम से सभी हितधारकों सहित सरकार द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ): यद्यपि जल राज्य का विषय है, केंद्र सरकार द्वारा देश में वर्षा जल संचयन के प्रभावी कार्यान्वयन सहित भूजल के संरक्षण, प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिन्हें http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/file/Steps%20taken%20by%20the%20Central%20Govt%20for%20water_depletion_july2022.pdf पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा देश में जल शक्ति अभियान (जे एस ए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रथम जेएसए की शुरुआत वर्ष 2019 में 256 जिलों के जल की कमी वाले ब्लॉकों में की गई थी, जिसे वर्ष 2021 के दौरान (पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में) भी जारी रखा गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, वाटरशेड प्रबंधन, पुनर्भरण और पुनः उपयोग संरचनाओं के निर्माण, गहन वनरोपण और जागरूकता सृजन आदि के माध्यम से मानसून के वर्षा जल का प्रभावी संचयन करना था। वर्ष 2021 और 2022 के लिए जेएसए कि शुरुआत क्रमशः दिनांक 22.03.2021 और 29.03.2022 को माननीय प्रधान मंत्री और माननीय राष्ट्रपति द्वारा की गई थी।

माननीय प्रधान मंत्री ने 24 अप्रैल, 2022 को अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना है।

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के सहयोग से गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ जल संकट वाले क्षेत्रों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर स्थानीय समुदायों को शामिल करके वैज्ञानिक साधनों के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन करना है जिससे लक्षित क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन किया जा सके।

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग कार्यक्रम (नैक्यूम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूजल जलभृत प्रणाली की पहचान करने के साथ-साथ इसके स्थायी प्रबंधन के लिए इसका विशिष्टीकरण करना है। लगभग 25 लाख वर्ग किमी के कुल मैपिंग योग्य क्षेत्र में से, देश में लगभग 22.10 लाख वर्ग किमी क्षेत्र (दिनांक 30 जून 2022 तक) को शामिल कर लिया गया है। शेष क्षेत्र को मार्च 2023 तक शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नैक्यूम अध्ययन रिपोर्ट और प्रबंधन योजनाओं को उपयुक्त उपायों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं/परियोजना समर्थकों जैसे उद्योगों, अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और खनन परियोजनाओं द्वारा भूजल की निकासी को नियंत्रित करने के लिए दिनांक 24.09.2020 को भूजल विनियमन दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए हैं, जिसके तहत भूजल निष्कर्षण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) अनिवार्य किया गया है।

जल राज्य का विषय है और कई राज्यों द्वारा जल संरक्षण/संचयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं जैसे राजस्थान में 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान', महाराष्ट्र में 'जलयुक्त शिबिर', गुजरात में 'सुजलम सुफलाम अभियान', तेलंगाना में 'मिशन काकतीय', आंध्र प्रदेश में 'नीरू चेट्टू', बिहार में जल जीवन हरियाली, हरियाणा में 'जल ही जीवन' और तमिलनाडु में कुडीमारमथ स्कीम ।

“भूजल स्तर में हास” के संबंध में दिनांक 04.08.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न सं. 3018 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

मूल्यांकन वर्ष 2017 और 2020 के लिए भूजल दोहन पर राज्यवार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020			2017		
		वार्षिक निष्कर्षण योग्य संसाधन (बीसीएम में)	वार्षिक भूजल निष्कर्षण -2020 (बीसीएम में)	भूजल का चरण (%) - 2020 (बीसीएम में)	वार्षिक निष्कर्षण योग्य संसाधन (बीसीएम में)	वार्षिक भूजल निष्कर्षण -2017 (बीसीएम में)	भूजल का चरण (%) - 2017
1	आंध्र प्रदेश	22.94	7.63	33.26	20.15	8.90	44.15
2	अरुणाचल प्रदेश	2.92	0.01	0.36	2.67	0.01	0.28
3	असम	21.97	2.58	11.73	24.26	2.73	11.25
4	बिहार	25.46	13.02	51.14	28.99	13.26	45.76
5	छत्तीसगढ़	11.55	5.35	46.34	10.57	4.70	44.43
6	दिल्ली	0.29	0.29	101.40	0.30	0.36	119.61
7	गोवा	0.32	0.08	23.48	0.16	0.05	33.50
8	गुजरात	24.91	13.30	53.39	21.25	13.58	63.89
9	हरियाणा	8.63	11.61	134.56	9.13	12.50	136.91
10	हिमाचल प्रदेश	0.97	0.36	36.83	0.46	0.39	86.37
11	झारखंड	5.64	1.64	29.13	5.69	1.58	27.73
12	कर्नाटक	16.40	10.63	64.85	14.79	10.34	69.87
13	केरल	5.12	2.65	51.68	5.21	2.67	51.27
14	मध्य प्रदेश	33.38	18.97	56.82	34.47	18.88	54.76
15	महाराष्ट्र	30.25	16.63	54.99	29.90	16.33	54.62
16	मणिपुर	0.46	0.02	5.12	0.39	0.01	1.44
17	मेघालय	1.82	0.08	4.22	1.64	0.04	2.28
18	मिजोरम	0.20	0.01	3.81	0.19	0.01	3.82
19	नगालैंड	1.95	0.02	1.04	1.98	0.02	0.99
20	ओडिशा	15.71	6.86	43.65	15.57	6.57	42.18
21	पंजाब	20.59	33.85	164.42	21.58	35.78	165.77
22	राजस्थान	11.07	16.63	150.22	11.99	16.77	139.88
23	सिक्किम	0.86	0.01	0.86	1.52	0.00	0.06
24	तमिलनाडु	17.69	14.67	82.93	18.20	14.73	80.94
25	तेलंगाना	15.03	8.01	53.32	12.37	8.09	65.45
26	त्रिपुरा	1.24	0.10	7.94	1.24	0.10	7.88
27	उत्तर प्रदेश	66.88	46.03	68.83	65.32	45.84	70.18
28	उत्तराखंड	1.85	0.87	46.80	2.89	1.64	56.83
29	पश्चिम बंगाल*	26.56	11.84	44.60	26.56	11.84	44.60
30	अण्डमान और निकोबार	0.28	0.01	2.60	0.33	0.01	2.74
31	चंडीगढ़	0.06	0.05	80.60	0.04	0.03	89.00
32	दादरा और नगर हवेली	0.07	0.03	45.99	0.07	0.02	31.34
	दमन और दीव	0.03	0.03	113.38	0.02	0.01	61.40
33	जम्मू और कश्मीर	4.22	0.89	21.03	2.60	0.76	29.47
34	लद्दाख	0.11	0.02	17.90			
35	लक्षद्वीप	0.00	0.00	58.47	0.00	0.00	65.99
36	पुदुच्चेरी	0.20	0.15	74.27	0.20	0.15	74.33
	कुल योग	397.62	244.92	61.60	392.70	248.69	63.33

* पश्चिम बंगाल राज्य के लिए 2013 के अनुसार भूजल संसाधन आकलन पर विचार किया गया है।

“भूजल स्तर में हास” के संबंध में दिनांक 04.08.2022 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 3018 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

उपलब्ध आकलन इकाइयों की तुलना में अतिदोहित आकलन इकाइयों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आकलन किए गए इकाइयों की कुल संख्या	अतिदोहित आकलन इकाइयां	
			संख्या	%
1	आंध्र प्रदेश	667	23	3.45
2	अरुणाचल प्रदेश	11		
3	असम	28		
4	बिहार	534	7	1.31
5	छत्तीसगढ़	146		
6	दिल्ली	34	17	50.00
7	गोवा	12		
8	गुजरात	248	25	10.08
9	हरियाणा	141	85	60.28
10	हिमाचल प्रदेश	10		
11	झारखंड	259	3	1.16
12	कर्नाटक	227	52	22.91
13	केरल	152		
14	मध्य प्रदेश	317	26	8.21
15	महाराष्ट्र	353	10	2.83
16	मणिपुर	9		
17	मेघालय	12		
18	मिजोरम	26		
19	नगालैंड	11		
20	ओडिशा	314		
21	पंजाब	150	117	78.00
22	राजस्थान	295	203	68.81
23	सिक्किम	4		
24	तमिलनाडु	1166	435	37.31
25	तेलंगाना	589	44	7.47
26	त्रिपुरा	59		
27	उत्तर प्रदेश	830	66	7.95
28	उत्तराखंड	18		
29	पश्चिम बंगाल*	268		
30	अण्डमान और निकोबार	36		
31	चंडीगढ़	1		
32	दादरा और नगर हवेली	1		
	दमन और दीव	2	1	50.00
33	जम्मू और कश्मीर	20		
34	लद्दाख	2		
35	लक्षद्वीप	9		
36	पुदुच्चेरी	4		
	कुल योग	6965	1114	15.99